राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद,
बिहार, पटना।

चतुर्थ तल, टेक्नोलॉजी भवन, विश्वेश्वरैया परिसर, बेली रोड, पटना–800015
Website : www.sbtebihar.gov.in ; Email : sbtebihar@bihar.gov.in

पत्रांक :–जे०के०(एस०बी०टी०ई०)/05/2018–4180 /पटना, दिनांक :– 25.09.2023

प्रेषक,

डॉ० चन्द्र शेखर सिंह,
सचिव,
राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद,
टेक्नोलॉजी भवन, पटना–15.

Abhishek (Programmer) सभी सम्बन्धित शिक्षकों तथा छात्र/छात्राओं को सूचित करें। आदेश से 25/09/23

सेवा में,

प्राचार्य,
सभी राजकीय पोलिटेकनिक / राजकीय महिला पोलिटेकनिक / निजी पोलिटेकनिक संस्थान।

विषय :– संस्थानों में अध्ययनरत छात्र /छात्राओं की उपस्थिति (75 प्रतिशत) अनिवार्य रूप से लागू करने के संबंध में।

संन्दर्भ :– विभागीय पत्रांक–3472 दिनांक–18/09/2023.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र के माध्यम से विभागीय निदेश के अनुपालन में संस्थान में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं की उपस्थिति (75 प्रतिशत) अनिवार्य रूप से लागू करना सुनिश्चित किया जाना है। Diploma Examination Rule-2023 (DER-2023) के Rule-6.3 मे अंकित 75% की उपस्थिति का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। EMS पोर्टल पर 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति की स्थिति में Sent-up से Debar करने के Option का प्रावधान किया जा चुका है, जिसका अनुपालन सख्ती के साथ की जाए। पर्षद के पत्रांक–3967 दिनांक–18/09/2023 के Note-3 में भी 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति की स्थिति में छात्र–छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को प्रत्येक माह सूचित करने की बात कही गई है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

प्रत्येक आंतरिक परीक्षा के समय 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले छात्र–छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को पत्र /वाट्सएप / मेसेज के द्वारा इसकी सूचना देना सुनिश्चित करेंगें।

स्वास्थ्य कारणों से वर्णित अवधि में 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं दर्ज कर पाए छात्र–छात्राओं की स्थिति में प्राचार्य (केस टू केस बेसिस पर) निर्णय लेगें। ऐसी परिस्थिति में प्राचार्य ऐसे छात्र–छात्राओं का विशेष वर्ग–व्यवस्था कर 75 प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता पूरी कर सकते हैं।

विश्वासभाजन,
25/9/23

सचिव,
राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद,
बिहार, पटना।

अनुलग्नक :– (1) विभागीय पत्रांक–3472 दिनांक–18/09/23.
(2) DER-2023.
(3) पर्षद का पत्रांक–3967 दिनांक–18/09/23.
(4) परीक्षा से वंचित करने संबंधित User Manual.

ज्ञापांक :– 4180 /दिनांक :–25/09/2023

प्रतिलिपि :– (1) सचिव, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।
(2) निदेशक, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, पटना को सादर सूचनार्थ।

25/9/23
सचिव,
राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 622 /संस्थान, दिनांक :– 25/09/2023
प्रतिलिपि :– (i) सूचना पट्ट/सभी संबंधित शिक्षक, छात्र/छात्रा, पदा० कर्मि रा० पोलि० संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।
(ii) प्रोग्रामर, रा० पो० संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

प्राचार्य नालन्दा

Scanned with CamScanner

राज्य प्रावैधिक शिक्षा पषेद,
बिहार, पटना।
चतुर्थ तल, टेक्नोलॉजी भवन, विश्वेश्वरैया परिसर, बेली रोड, पटना–800015
Website : www.sbtebihar.gov.in ; Email : sbtebihar@bihar.gov.in

Form No-209

छात्र–छात्राओं की उपस्थिति से संबंधित दिशा निर्देश

01. राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना से संबद्धता प्राप्त सभी राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान / राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान / निजी पोलिटेकनिक संस्थान के छात्र–छात्राओं का किसी भी सेमेस्टर का परीक्षा आवेदन–प्रपत्र संस्थान द्वारा पर्षद को अग्रसारण के पूर्व उनका सभी वर्ग–कार्यों / प्रायोगिक कार्यों / सात्रिक कार्यों (टर्म वर्क) में कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कर लेगें।

02. 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति की स्थिति में ऐसे छात्र–छात्राओं को परीक्षा से वंचित करना सुनिश्चित करेंगे।

03. प्रत्येक सेमेस्टर में वैसे छात्र–छात्राओं के अभिभावकों को संस्थानीय स्तर पर आयोजित हाने वाले प्रथम क्लास टेस्ट, द्वितीय क्लास टेस्ट एवं तृतीय क्लास टेस्ट के समय प्राचार्य द्वारा पत्र / वाट्सएप / मेसेज द्वारा इससे संबंधित सूचना देना सुनिश्चित करेंगें। संबंधित छात्र–छात्राओं को भी इसकी सूचना देना सुनिश्चित करेंगे।

04. वैसे छात्र–छात्राएँ जो स्वास्थ्य कारणों से इस अवधि में 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं दर्ज कर पाए हों तो वैसी परिस्थिति में प्राचार्य (केस टू केस बेसिस पर) निर्णय लेंगे। वैसी परिस्थिति में प्राचार्य ऐसे छात्र–छात्राओं का विशेष वर्ग–व्यवस्था कर 75 प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता पूरी कर सकते हैं।

05. Diploma Examination Rule-2023 (DER-2023) के Rule-6.3 मे अंकित नियम का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

06. पर्षद के पत्रांक–3967 दिनांक–18/09/2023 के Note-3 में भी 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति की स्थिति में छात्र–छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को प्रत्येक माह सूचित करने का उल्लेख है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

07. EMS पोर्टल पर 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले छात्र–छात्राओं को परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने से वंचित करने के Option का प्रावधान किया गया है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगें।

सचिव,
राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद,
बिहार, पटना।

Scanned with CamScanner